



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18022025-261118
CG-DL-E-18022025-261118

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 830]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 17, 2025/माघ 28, 1946

No. 830]

NAW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 17, 2025/MAGHA 28, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2025

का.आ. 834(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4073(E) तारीख 19/09/2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा जम्मू और कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश) राज्य के पुलवामा जिले में NH-444 के कि.मी. 9.45 से कि.मी. 14.3 तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "29.01.2024" को "राइजिंग कश्मीर" और "डेली आफताब" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश) राज्य के पुलवामा जिले में NH-444 के कि.मी. 9.45 से कि.मी. 14.3 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: पुलवामा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: पुलवामा					
गांव का नाम: पुलवामा					
1	222	निजी	बागबानी	0.0273	मोहम्मद अब्दुल्लाह पिता रजब मालिक
2	222	निजी	बागबानी	0.0838	मुश्ताक अहमद, शबीर अहमद पिता गनी मालिक
3	276	निजी	बागबानी	0.0229	अब्दुल हमीद पिता सोना उल्लाह मीर
4	277	निजी	बागबानी	0.119	श्री मति मुगली पिता मोहम्मद मीर
5	358	निजी	बागबानी	0.021	शामिलत मालिकन देह
6	369	निजी	बागबानी	0.0144	महफूज कच्चिराई
Total				0.2884	

[फा. सं. PCD/LA/444/0001/3D]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2025

S.O. 834(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. No. 4073(E) Dated:19/09/2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared

its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction (Widening/4 laning, etc.) Maintenance, management and operation of NH-444 in the stretch of land from Km. 9.45 to Km. 14.3 in the district of Pulwama in the state of Jammu & Kashmir (UT).

And whereas the substance of the said notification has been published in “Rising Kashmir” and “Daily Aftab” both dated 29.09.2024; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-444 in the stretch of land from Km. 9.45 to Km. 14.3 in the district of Pulwama in the state of Jammu & Kashmir (UT).

State: JAMMU & KASHMIR			District: PULWAMA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Pulwama					
Village: Pulwama					
1	222	Private	Horticultural	0.0273	Mohd Abdullah Son of Rajab Malik
2	222	Private	Horticultural	0.0838	Mushtaq Ahmad, Shabir Ahmad Sons Of Gani Malik
3	276	Private	Horticultural	0.0229	Abdul Hamid Son of Sona ullah Mir
4	277	Private	Horticultural	0.119	Mst Mugli daughter of Mohd Mir
5	358	Private	Horticultural	0.021	Shamilat Malikan Deh
6	369	Private	Horticultural	0.0144	Mahfooz Kachirai
Total				0.2884	

[F. No. PCD/LA/444/0001/3D]

ABHAY JAIN, Director